प्रेषक,

सचिव,

माध्यमिक शिक्षा परिषद्,

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

38

25/8/66

सेवा में,

प्रबंधक,

श्री सत्य नारायण मन्दिर हायर सेकेण्ड्री स्कूल, मखदूमपुर, सहारनपुर

पत्र संख्या आई० बी०/मान्यता/ १०/६२-७० इलाहाबाद, दिनांक १४-८-१९६६।

विषय--आपका हाई स्कूल/इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन/अतिरिक्त मान्यता का प्रार्थना-पत्र।

महोदय,

अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने, मान्यता समिति की संस्तुति के उपरान्त, इन्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट की धारा ११ के अन्तर्गत उपर्युक्त विद्यालय को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की १९६८ की हाई स्कूल/इन्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त मान्यता दिये जाने का आदेश प्रदान किया है:--

सामान्य प्रतिबन्ध

(१) इस पत्र में अंकित वर्ग/विषय की नवीन ९वीं/११वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापकगण, सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से जिला विद्यालय निरीक्षक/~~मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका~~ को पूर्णरूपेण संतुष्ट कर उनसे लिखित अनुमति प्राप्त कर ली जाय। बिना उनकी लिखित अनुमति के संचालित कक्षा अमान्य व अनियमित होगी और इसके लिए संस्थाधिकारी ही स्वयमेव उत्तरदायी होंगे।

(२) इस आदेश पत्र को प्राप्त करने की तिथि से दो माह के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक/~~मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका~~ से ९वीं/११वीं कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय।

(३) नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयमेव वहन करें।

(४) सज्जा की व्यवस्था निरीक्षक/निरीक्षिका के सन्तोषानुसार की जाय। इसके लिए सिंगिल सीटेड डेस्क व चेयर्स ही स्वीकार किए जायेंगे।

विशेष प्रतिबन्ध

(क) इस पत्र में अंकित ~~विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति ९वीं/११वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व नियमानुसार की जाय।~~

विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अध्यापकों की नियुक्ति कक्षा संचालित करने के पूर्व की जाये साथ ही अप्रशिक्षित अध्यापकों के स्थान पर योग्य एवं प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति शीघ्र की जाये।

(ख) [illegible] से प्राप्त पूर्ण [illegible] अनुपालन कोष में निर्धारित [illegible] जमा की जाये।